1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा सेख्या –418/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.550 किमी0 में पड़ने वाली 3.20 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बुंगली।

तहसील–गंगोलीहाट, जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत सिनलेख से बुगंली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.550 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.25 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.450 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मलुवानिस्तारण हेतु वन भूमि 0.500 है0 अर्थात कुल 3.200 हे0 वन भूमि का अ0 ख0,लो0नि0वि0 बेरीनाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बुंगली द्वारा दिनांक 18/06/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बुंगली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0 बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(2.25 हे0) प्रमाणित

अनिल कनौजिया
सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ)

गिरीश गहतोड़ी

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचा0 वि0 अधिकारी
वि0ख0– गंगोलीहाट(पिथौरागढ)
दि0 18/6/2019

सौरभ गहरवाल

ह0/–
दिवान सिंह परगाई
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत– बुंगली
वि0ख0– गंगोलीहाट, पिथौरागढ
दि0 18/6/2019

उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट
दि0 12-9-19

C:\Users\ASHU\Documents\sinlekh_vanbhumi\SILEKH BUNGLI

1.6

प्रपत्र–23.1

दिनांकः– 18/06/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– बुगली।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	केशर राम	केशर राम
2	नन्दा सिंह	नन्दा सिंह
3	नन्दी देवी	नन्दी देवी
4	कमला देवी	कमला देवी
5	मंजू देवी	मंजू देवी
6	दुर्गाराम	दुर्गाराम
7	प्रह्लाद राम	प्रह्लाद राम
8	निर्मला देवी	निर्मला देवी
9	दीवान सिंह, परगाई	दीवान सिंह
10	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
11	भवान सिंह	भवान सिंह
12	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
13	राम सिंह	राम सिंह
14	खुशाल सिंह	खुशाल सिंह
15	भगत सिंह	भगत सिंह
16	दिवान सिंह	दिवान सिंह
17	विनोद राम	विनोद राम
18	प्रताप सिंह	[illegible]
19	हरिशंकर सिंह	हयात सिंह
20	हयात सिंह	[illegible]
21	शेर सिंह	शेर सिंह
22	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
23	भगत सिंह	भगत सिंह
24	उमेद सिंह	उमेद सिंह
25	चन्द्र प्रकाश	चन्द्र प्रकाश
26	भगवती प्रसाद	भगवती प्रसाद
27	मोहन राम	मोहन राम
28	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद
29	हीरा देवी	हीरा देवी
30	कमला देवी	कमला
31	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
32	धनुली देवी	धनुली देवी
33	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
34	श्याम सिंह	श्याम सिंह
35	सन्तोष सिंह	सन्तोष सिंह
36	प्रह्लाद राम	प्रह्लाद राम
37	गणेश राम	गणेश राम

ह0/– दिवान सिंह परगाई

प्रधान

ग्राम पंचायत- बुगली

वि0ख0- गंगोलीहाट, पिथौरागढ़

दि0 18/6/2019

1.6

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्य मन्त्री घोषणा सेख्या –418/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत सिनलेख से बुंगली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य लम्बाई 7.550 किमी0 में पड़ने वाली 3.20 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – खतीगॉव।

तहसील–गंगोलीहाट, जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत सिनलेख से बुगंली मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 7.550 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.25 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.450 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मलुवानिस्तारण हेतु वन भूमि 0.500 है। अर्थात कुल 3.200 हे0 वन भूमि का अ0 ख0,लो0नि0वि0 बेरीनाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खतीगॉव द्वारा दिनांक 22-06-019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खतीगॉव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0 बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है। (2.25 हे0) प्रमाणित

अनिल कनौजिया
सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
बेरीनाग (पिथौरागढ)

गिरीश गहतोड़ी
ह0/– ग्राम पंचा. वि0 अधिकारी, क्षेत्र खतीगांव, वि0ख0–गंगोलीहाट (पिथौरागढ़)
दि0 22-6-2019
ग्राम सचिव

ह0/–
निर्मला देबी
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत खतीगांव
वि0ख0–गंगोलीहाट, पिथौरागढ
दि0 22-6-2019

बिशन सिंह

(सुरेन्द्र सिंह)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ...खतीगांव... 27/06/19
तह0– गंगोलीहाट, जिला– पिथौरागढ

तहसीलदार
गंगोलीहाट
दि0 27/6/2019

C:\Users\ASHU\Documents\sinlekh_vanbhumi\SILEKH BUNGLI

1.6

प्रपत्र–23.1

दिनांकः– 22/06/2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायतः– खती गॉव।

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भूपाल सिंह	भूपालसिंह
2	उमेद सिंह	उमेद सिंह
3	कार्तिक सिंह	कार्तिक सिंह
4	रवीन्द्र सिंह	रवीन्द्रसिंह
5	भीम सिंह	Bahadur
6	पदम सिंह	पदमसिंह
7	हरीशलाल राम	हरीश सिंह
8	राम सिंह	रामसिंह
9	गणेश सिंह	Ganesh
10	किशन सिंह	किशन सिंह
11	राज कुमार सिंह	भीम सिंह
12	खीम सिंह	Kham [illegible]
13	भीम सिंह	[illegible]
14	ममता देवी	ममता देवी
15	पुष्पा देवी	पुष्पा देवी
16	राम प्रसाद	[illegible]
17	गणेश राम	[illegible]
18	उमेद प्रसाद	भूपाल [illegible]
19	भूपाल सिंह	कोशल सिंह
20	कोशल सिंह	[illegible]
21	कुशाल सिंह	कुशाल सिंह
22	नरायण सिंह	नरायण सिंह
23	केशर सिंह	केशर सिंह
24	जगत सिंह	
25	राजेन्द्र सिंह	Rajendra Singh
26	महेश सिंह	Mahesh Singh
27	जयपाल सिंह	जयपाल सिंह
28	पुरन सिंह	Puran Singh
29	प्रहलाद सिंह	Prahalad Singh
30	राम प्रसाद	R.m.P
31	गणेश लाल	गणेश ला.
32	भैरव लाल	[illegible]
33	[illegible] सिंह	[illegible]
34	हेमा देवी	H.M
35	रेखा देवी	रेखा
36	[illegible]	[illegible]
37	राम सिंह	राम सिंह

ह0/ निर्मला देवी
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत खतीगांव
वि0ख0-गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
दि0 22-6-2019

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सिनलेख से बुगली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ...हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० का प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ——————

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, गंगोलीहाट

उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत सिनलेख-बुगली मोटर-मार्ग ———— (0.0 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.25 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.5 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.200 हे0 वन भूमि) का लो०नि०वि० बेरीनाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गंगोलीहाट) की दिनांक 12/9/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सौरभ गहरवार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री सौरभ गहरवार उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट ——अध्यक्ष
2– श्री नवीन चन्द्र पंत उप प्रभागीय वनाधिकारी—— बेरीनाग ——सदस्य
3– श्री आभा मेहता सहायक समाज कल्याण अधिकारी बेरीनाग गंगोलीहाट सदस्य/सचिव
4– श्री श्याम चन्द बी0डी0सी0 क्षेत्र ग्रा०पि०नि० ——सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

सिनलेख बुगली ———— परियोजना हेतु 3.200 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग ———— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बेरीनाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

(2.25 हे०) प्रमाणित

अनिल कनौजिया
सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गंगोलीहाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत चिनलेख - मुगली परियोजना के निर्माण हेतु 3.20 हे0 वन भूमि 3.20 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गंगोलीहाट
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आशा मेहता
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड गंगोलीहाट
दि0 12-9-2019

खण्ड विकास अधिकारी
गंगोलीहाट

उप जिलाधिकारी / अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– गंगोलीहाट
जनपद पिथौरागढ़
13/09/19

नवीन चन्द्र पन्त
उप प्रभागीय वनाधिकारी
बेरीनाग
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
दि0 12-9-2019

सदस्य
क्षेत्र पंचायत कुंगली
वि0 ख0 - गंगोलीहाट
दि0 12-9-2019

सदस्य
क्षेत्र पंचायत लोहाथल
वि0 ख0 - गंगोलीहाट
दि0 12-9-2019

गिरीशलाल
सदस्य
क्षेत्र पंचायत मुगड़ी
वि0 ख0 - गंगोलीहाट
दि0 12-9-2019

सौरभ गहरवाल
उप जिलाधिकारी
गंगोलीहाट
दि0 12-9-19

1.6

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Pithoragarh

No- 83 Dated- 20-03-2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliances of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.200** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Berinag (name of user agency) for **Sinlekh To Bungli** motor road (purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh district falls within jurisdiction of Sinlekh & Bungli village (s) in Ganai Gangolihaat.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **3.200** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

आनन्द स्वरूप

Eucl: As above.

(Signature)
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़
(Full name and official seal of the District Collector)
(दि० 20/3/2021)

1.6

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

No---83 Dated---20/3/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognitions of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.2 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **P.W.D. Berinag** (Name of user agency) for **Sinlekh Bungli Motore Road** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh District falls within jurisdiction for **Sinlekh khati village & Bungli** village (s) in **Gangolihaat** tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......

the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

आनन्द स्वरूप

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

दि० 20/3/21

1.6

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Pithoragarh (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pighoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Anand Swarup I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 20-3-21 at time 12:00 at Pithoragarh in which application claiming rights in area measuring 3.200 hect for the construction of for **Sinlekh To Bungli** Moter Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Berinag** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

आनन्द स्वरूप

Place; Pithoragarh
Dated: 20/3/2021

Deputy Commissioner cum-Chairman
District Lev
दि० 20/3/2021

प्रपत्र– 23

परियोजना विवरण :– माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट में सिनलेख से बुगली मोटर मार्ग का निमार्ण कार्य लम्बाई 7.550कि0मी0मेंपडनेवाली 3.100है0वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

अनुसूचित जनजाति और परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

जिलास्तरीय समिति–पिथौरागढ़

उप खण्ड **बेरीनाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **सिनलेख से बुगली मोटर मार्ग में 0.00** है0 आ0 वनभूमि **2.250** है0 सिविल एवं सोयम भूमि **0.450** है0 वन पंचायत भूमि मलवा निस्तारण हेतु 0.500है0 सिविल भूमि अर्थात कुल **3.200** है0 वनभूमि का **लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील **बेरीनाग**) की दिनांक 20/03/2021. को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री आनन्द स्वरूप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः–

1–श्री आनन्द स्वरूप जिलाधिकारी **पिथौरागढ** अध्यक्ष।

2–श्री विनय कुमार प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य।

3–श्री डा० विद्यासागर कापड़ी जिला समाज कल्याण अधिकारी **पिथौरागढ** सदस्य/सचिव ।

4–श्री सुरेश जेठा सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र [signature]

5–श्री गंगोत्री दताल सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र [signature]

6–श्री पुष्पा देवी सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र Pushpa

सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की अध्यक्षता प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि पाताल **सिनलेख से बुगली मोटर मार्ग** परियोजना हेतु **3.200** है0 वनभूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी **पिथौरागढ** द्वारा अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

सुरेश जेठा सदस्य जिला पंचायत सदस्य	विनय कुमार भा0व0से0 प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य प्रभागीय वन अधिकारी पिथौरागढ दि0 20-3-2021	विद्यासागर कापड़ी जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य/सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी पिथौरागढ दि0 20-3-2021	आनन्द स्वरूप जिलाधिकारी अध्यक्ष जिलाधिकारी पिथौरागढ सौरभ गहरवाल दि0 20/3/21

सदस्य जिला पंचायत खेला 02 धारचूला (पिथौरागढ) दि0 20-3-21

श्रीमती गंगोत्री दताल
सदस्य जिला पंचायत
...(पिथौरागढ) दि0 20-3-2021

पुष्पा देवी
जिला पंचायत सदस्य
...नाचूना, पिथौरागढ दि0 20-3-2021